रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 514] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 8, 2012/आश्विन 16, 1934
No. 514] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 8, 2012/ASVINA 16, 1934

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 2012

सा.का.नि. 752(अ).— केंद्र सरकार, पशुधन आयात अधिनियम, 1898 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-2 खंड-3, उपखंड (i) में तारीख 7 मई 2010 को प्रकाशित भारत, सरकार, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 398 (अ.) के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व अथवा करने से लोप की गई बातों के सिवाय, भारत में घोड़े अथवा अन्य अश्वों के आयात को निम्नलिखित अधिसूचना में दी गई प्रक्रिया के अनुसार विनियमित करती है:-

अनुसूची

1. साधारण अपेक्षा: घोड़े अथवा अन्य अश्व के साथ वैध पासपोर्ट होगा या यदि घोड़ा अथवा अन्य अश्व पासपोर्ट निर्गत करने वाले देश से मूल रूप से नहीं है तो निर्यातक देश के शासकीय पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा विधिवत् अधिप्रमाणित पहचान प्रमाण-पत्र के साथ उसका संपूर्ण पूर्ववृत संलग्न होना चाहिए।

2. परीक्षण की अपेक्षा: (1) घोड़े या अन्य अश्व ऐसे देश से आएंगे-

(i) जहां निर्यात से विगत दो वर्ष पूर्व अफ्रिकन हॉर्स सिकनेस वायरस (एएचएसवी) के प्रकोप की सूचना न हो;